कार्यालय उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भरतपुर

कलैक्ट्रट परिसर, 321001, ई–मेलः sjebharatpur@yahoo.com, PH: 05644-223576

क्रमांकःसान्याअवि./.2017–18/....1310 दिनांकः...6/2/18

खुली निविदा सूचना

ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालयों हेतु वर्ष 2017–18 में ,ऑफीसर कुर्सी – टेबिल, स्टॉफ कुर्सी–टेबिल, विजिटर कुर्सी, स्टील आलमारी, साइड रैक, कूलर, पंखे इत्यादि जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत/प्राधिकृत एवं अनुभवी फर्मो से मौहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	अनुमानित लागत (लाखों में)	निविदा शुल्क	अमानता राशि (अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत)	निविदा विक्रय प्रपत्र की अंतिम तिथि व समय	निविदा प्राप्ति दिनांक व समय	निविदा प्रपत्र खोलने की दिनांक व समय
1	6.00	500/रूपये	12000	21.02.2018 सांय 5.00 बजे	22.02.2018 प्रातः 11.00 बजे	22.02.2018 अपरान्ह 3.00 बजे

1. निविदा प्रतिभूति राशि के बिना प्राप्त निविदा पर कोई विचार नही किया जावेगा।
2. निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जायेगी।
3. निविदा आवेदक फर्म जी.एस.टी. अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होनी चाहिये।
4. निविदा प्रपत्र एवं संबंधित दस्तावेज निर्धारित निविदा प्रपत्र शुल्क कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में नगद जमा करवाकर दिनांक 21.02.2018 को सायं 5.00 बजे तक कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते है या बेबसाईट http://www.sje.rajasthan.gov.in/ से या SPPP WEBPORTAL से भी डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र का निर्धारित शुल्क रूपये 500 निविदा दाता द्वारा पृथक से ड्राप्ट 'उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भरतपुर के नाम से बनवाकर दिनांक 22.02.2018 को प्रातः 11.00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकेगी।जो दिनांक 22.02.2018 को अपरान्ह 3.00 बजे उपस्थित निविदा दाताओ/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष विभागीय उपापन समिति द्वारा खोली जावेगी।

उपनिदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
भरतपुर

क्रमांकःसान्याअवि/.2017–18/..1311–13 दिनांकः....6/2/18

प्रतिलिपिः–

1. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर महोदय,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,राजस्थान जयपुर को निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र भेजकर निवेदन है कि नियमानुसार विभाग की बेबसाईट एवं SPPP WEBPORTAL एवं राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम स्थान पर प्रकाशन कराने की कृपा करें।
2. नोटिस बोर्ड सूचना केन्द्र भरतपुर/कलक्टर कार्यालय भरतपुर/स्थानीय कार्यालय भरतपुर
3. राज्य स्तरीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर में विज्ञप्ति प्रकाशनार्थ।

उपनिदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
भरतपुर

Scanned by CamScanner

कार्यालय उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भरतपुर

कलैक्ट्रट परिसर, 321001, ई–मेलः sjebharatpur@yahoo.com, PH: 05644-223576

क्रमांकःसान्याअवि / स्था. / .2017–18 / ...1310 दिनांकः...6/2/18

वित्तीय निविदा

Officer Furniture & Fixture निविदा

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक पता एवं मोबाईल नम्बर...
....
2. निविदा शुल्क की राशि.......................नकद राशि संख्या.................... एवं दिनांक......................... द्वारा अथवा डी.डी. / बैंकर्स चैक संख्या.. के द्वारा जमा करवा दी गई है।
3. धरोहर राशि का डी.डी. नम्बर............................ बैंक का नाम.. राशि................................ जो कि भरतपुर में देय हो
4. विभाग द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या.............................. दिनांक... .में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो के बाध्य होना स्वीकार करते हैं(इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये है।
5. निम्नलिखित मदो की सप्लाई के लिये दरें निम्न प्रकार होगी तथा प्रदाय की जाने वाली सामग्री की मात्रा उनमें प्रत्येक के सामने अंकित की गई है।

क. सं.	सामान का विवरण	नग	स्पेसिफिकेशन (विवरण)	दर प्रति ईकाई	कुल राशि (संख्या X दर प्रति इकाई)	जी.एस.टी.कर	कुल योग
1.	स्टील आलमारी	12	(1980X980x480MM.) आयरन 20 गेज दरवाजा 22 गेज बॉडी 4 सैल्फ(5 पार्टीशन) एक लॉकर व पाउडर कोटेड 60 kg.				
2.	स्टील आलमारी (छोटी)	12	(1280x760x430MM) आयरन 20 गेज दरवाजा 22 गेज बॉडी 2 सैल्फ(3 पार्टीशन) एक लॉकर व पाउडर कोटेड 35 kg.				
3.	स्टील लाईब्रेरी सैल्फ (6 सैल्फ)	6	(1875x900x400mm)18 गेज एंगल 20 गेज पाटिया आयरन 32 kg.				
4.	ऑफीसर टेबिल फुली वुडन (with Table Glass 10mm., with attached cupboard)	6	3 ड्राअर एक साईड, पल्ला दूसरी साइड पार्टीकल बोर्ड, PVC ऐज बैण्डिग, वुड बेस, 18 mm मोटाई, ISI मार्का 6x3x2.5 ft., फुल कपबोर्ड 2.5x1.5x2.5 ft.				
5.	कर्मचारी टेबिल फुली वुडन (with Table Glass 10mm.)	12	3 ड्राअर एक साईड, पार्टीकल बोर्ड, PVC ऐज बैण्डिग, वुड बेस, 18 mm मोटाई, ISI मार्का 4x2.5X2.5 ft.				
6	कंप्यूटर टेबल फुली वुडन (with Table Glass 10mm.)	6	3-3 ड्राअर दोनों साइड, पर्टिकल बोर्ड, PVC ऐज बैण्डिग, वुड बेस, 18 mm मोटाई, ISI मार्का 5X2.5X2.5 ft.				

Scanned by CamScanner

7.	कुर्सी ऑफीसर	6	ब्रॉण्डेड रिवाल्विंग सुपरियर क्वालिटी हाईड्रोलिक/न्यूमैटिक फूलहैड कोम बेस, मेश हैडरैस्ट,नाईलॉन मेश ब्रेकिट,पेडिड आर्म रैस्ट, 640x480x1240mm				
8.	कुर्सी कर्मचारी	18	ब्रॉण्डेड हाई डैसिटी फोम सीट,फोम बैकरेस्ट,प्लास्टिक हैंड रेस्ट , क्रॉम पॉलिशिंग 910x610x580 mm				
9.	विजिटर कुर्सी	48	प्लास्टिक अच्छी क्वालिटी,आर्म रेस्ट,बैक & सीट PU कुशन,बेलवेट कवर, 22x22x32 inch				
10.	कूलर	12	23x23x42 inch आयरन बोडी एक्जास्ट मोटर				
11.	पंखा	12	सिलिंग पंखा ब्रॉण्डेड कम्पनी				
महायोग अक्षरेः				**महायोग अंको में (रूपये) =**			

6. सामान की मात्रा आवश्यकता के अनुरूप घटाई एंव बढाई जा सकती है।
7. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने के दिनांक से 10 दिवस की अवधि के भीतर प्रत्येक ब्लॉक(सेवर,कुम्हेर,रूपवास,डीग,नगर,कांमा) पर सामान की सुपुर्दगी कर दी जानी आवश्यक है।
8. उपर उद्वत की गई दरें 31.03.2018 तक के लिये विधिमान्य है।इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेगा।
9. विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा पत्र भी संलग्न किया जाता है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय सील

Scanned by CamScanner

निविदा की सामान्य शर्तेः–

1. निर्धारित प्रपत्र बेबसाईट http://www.sje.rajasthan.gov.in या SPPP WEBPORTAL से या कार्यालय समय में कार्यालय से दिनांक 21.02.2018 समय सायं 5.00 बजे तक निविदा शुल्क जमा करा कर प्राप्त किये जा सकते है।भरी हुई निविदा दिनांक 22.02.2018 को प्रातः 11.00 बजे तक कार्यालय में जमा की जाकर उसी दिन 3.00 बजे कय समिति एवं उपस्थिति निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा।
2. यदि किसी कारण वश उस दिन का अवकाश रहता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को उसी समय व उसी स्थान पर खोली जावेगी।
3. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क व धरोहर राशि डी.डी. जो उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भरतपुर के पक्ष में जो कि भरतपुर में देय हो,निविदा फार्म के साथ प्रस्तुत करना होगा।सशर्ते निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा।
4. निविदाऐं स्वीकार एवं अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
5. निविदा द्वारा अनुमोदित की गई अनुबन्घ की दिनांक 31.03.2018 तक के लिये विधि मान्य है।इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया जा सकेगा।
6. निविदा के साथ वेट/बिकी कर पंजीयन एवं नवीनतम वेट/बिकी कर दिनांक 30.09.2017 तक चुकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. विनिर्माता/डीलर आदि को घोषणा पत्र(एस.आर.–11) संलग्न करनी होगी।
8. विभाग द्वारा जारी की गई निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करता हूँ/है।इसके सहमति स्वरूप निविदा के सभी पृष्ठों व उल्लेखित शर्तो को मेरे/हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण पत्र में सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिये गये है।
9. अपूर्ण अथवा अहस्ताक्षरित निविदा अमान्य होगी।
10. निविदादाता जीएसटी अधिनियम 2017 के अधीन पंजीकृत व्यवसायी होना चाहिए एवं जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करनी होगी।
11. दरें उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भरतपुर तक एफ.ओ.आर.उद्वत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी अनुषंगिक प्रभारी (सामग्रीलागत, पैंकिग, परिवहन, लोंडिग/अनलोडिंग, नाप, तोल, संस्थापन तथा सभी प्रकार के कर व शुल्क,जीएसटी के अतिरिक्त) को शामिल करना होगा।
12. अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिये यह समझा जाएगा कि उसने प्रदान किये जाने वाले माल की शर्तो विनिर्देशों,आकार,मेक,एवं रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जॉच कर ली है।यदि इन शर्तो विनिर्देशों,रेखाचित्रों आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई संदेह हो,ता वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे प्रभारी अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
13. आपूर्तिकर्ता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नही सौपेगा या उप–भाडे(सब लैट) पर नही देगा।
14. विनिर्देश–(1)प्रयुक्त की गई वस्तुऐं निविदा में प्रस्तुत स्पेसिफिकेशन के पूर्णतया अनुरूप होगी एवं जिन वस्तुओं को स्पेसिफिकेशन उपलब्ध नही है उन वस्तुओं ब्रॉशर साथ में देना होगा।(2)वस्तुओं का प्रदाय,अन्य बातों के साथ,अनुमोदित न हो,वहॉ अतिउत्तम गुणवता,एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जायेगा।
15. निविदादाताओं या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।
16. (1)सुपुर्दगी अवधिः–निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जाये उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भरतपुर द्वारा प्रदाय आदेश करने की तारीख से 15 दिवस की अवधि के भीतर आदेशानुसार कार्य स्थल पर सामग्री की आपूर्ति करेगा।

Scanned by CamScanner

17. (2)यदि कार्यकारी संस्था निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में सामग्री आपूर्ति करता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति क्लेम करने का हकदार नही होगा।
18. विलम्ब से सुपुर्दगी करने पर जी.एफ.एण्ड.आर. के नियमानुसार राशि की कटौती की जावेगी।
19. आपूर्तिकर्ता को आदेशित सामग्री का उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भरतपुर की मांग के अनुसार कार्य करना होगा।इससे भिन्न आईटम का भुगतान नही किया जायेगा।
20. सामग्री की आपूर्ति के लिये आदेश उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भरतपुर द्वारा आवश्यकतानुसार दिया जायेगा।
21. उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भरतपुर जारी कय आदेश के कम में आपूर्ति की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि तथा कय समिति के सत्यापन पश्चात ही भुगतान किया जायेगा।उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भरतपुर द्वारा एक प्रति कार्यालय उपयोग के लिये तथा दूसरी प्रति को प्रमाणित कर बिल के साथ भेजी जावेगी।
22. धरोहर राशि–(क)निविदा के साथ अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत धरोहर राशि प्रस्तुत की जावेगी।इसके बिना निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा।यह राशि उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भरतपुर के पक्ष में बैंकर चैक के रूप मे जमा करानी होगी।(ख)धरोहर राशि का प्रतिदाय–असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अंतिम रूप से स्वीकार करने के बाद शीघ्र लौटायी जाएगी।(ग) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपकमों को कोई बयाना राशि जमा करने की आवश्यकता नही है।
23. धरोहर राशि का समपरहण–बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समहरण कर लिया जाएगा:(1)जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है,या उसमें रूपान्तरण करता है।(2)जब विनिदादाता विर्निष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को,यदि कोई हो,निष्पादित नही करता है।(3)जब निविदादाता प्रदायगी के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नही कराता है।(4)जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारंभ करने में असफल रहता है।
24. (1)करार एवं प्रतिभूति निक्षेप–(1)सफल निविदादाताओं को आदेश के प्राप्त होने से 3 दिन की अवधि के भीतर एक करार पत्र रूपये 500 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर निष्पादित करना होगा तथा जिन कार्यो के लिये निविदायें स्वीकार की गयी है,उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी।तथा एसएसआई यूनिट के अन्तर्गत पार्ट–2 में पंजीकृत फर्मो को निविदा के मूल्य के एक प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि जमा करवानी होगी।यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिनकी निविदा के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गयी है,3 दिन के भीतर जमा करवायी जायेगी।(2)निविदा क समय जमा करायी गयी धरोहर राशि से कम की नही होगी।(3)प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जाएगा।(4)प्रतिभूति राशि बैंकर चैक के रूप में ही जमा करवानी होगी।

    (2)प्रतिभूति निक्षेप का समहरणः–प्रतिभूति राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहरण किया जा सकेगा–(क)जब संविदा के किन्ही निर्बन्धनों और शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय संतोषजनक ढंग से करने का केताधिकारी को पूर्ण होगा।(ग)प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण करने के मामले में 7 दिवस का नोटिस दिया जायेगा।तथा प्रतिभूति राशि समपहरण कर फर्म को विसर्जित कर दिया जावेगा।इस संबंध में केताधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
25. फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल जीएसटी राशि को अलग दर्शाया जाकर बिल प्रस्तुत करना होगा संबंधित विभाग में जीएसटी राशि जमा कराने का दायित्व आपूर्तिकर्ता का होगा।
26. भुगतान बिलों से नियमानुसार आयकर/जीएसटी की कटौतियां की जावेगी।

Scanned by CamScanner

27. कय समिति द्वारा स्वीकार की गई निविदा पर द्वारा 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि जमा कराने का प्रावधान है।जिसमें 2 प्रतिशत अमानत राशि समाहित करने के पश्चात शेष 3 प्रतिशत राशि 3 दिवस में जमा करानी होगी।
28. सामग्री कार्यालय ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी (पं.स.–सेवर,कुम्हेर,कांमा,डीग,नगर,रूपवास) को सुपुर्द कर रसीद प्राप्त करनी है।
29. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थागित किया जाना आवश्यक हो किसी पक्षकार जिला भरतपुर में स्थित न्यायालयों में ही की जावेगी।
30. निविदा संबंधी समस्त अधिकार कय समिति के पास सुरक्षित होंगे जिनका निर्णय अंतिम एवं सार्वमान्य होगा।
31. अन्य समस्त शर्ते राज्य सरकार के उपापन अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 और सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में उल्लेखित कय नियम एवं समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अधीन होंगे।
32. सक्षम स्तर से स्वीकृति मिलने पर ही कार्यादेश दिये जावेगे।
33. निविदादाता द्वारा विहित समय पर सामग्री आपूर्ति न करने की स्थिति में निविदा फर्म से ठीक बाद वाली निविदा फर्म को सामग्री आपूर्ति का आदेश दिया जा सकता है।
34. वित्तीय निविदा खोलने से पहले निविदादाताओं से अलग से प्राप्त लिफाफे खोले जायेगें जिसमे आयकर विवरणी,जीएसटी पंजीयन फर्म रजिस्ट्रशन,फर्म के स्वामी का पैन कार्ड इत्यादि की छायांप्रति संलग्न होनी अनिवार्य है।बिना इसके संबंधित निविदादाता के वित्तीय निविदा न ही खोली जावेगी।
35. उपापन समिति संबंधित फर्मो के आपूर्ति स्थान पर जाकर माल की किस्म की जॉच करेगी एवं मानक स्तर से कम पाये जाने पर निविदा निरस्त कर इसके ठीक नीचे की दरों वाली फर्म को दी जा सकती है।

मैने/हमने उक्त शर्तो को पढकर समझ लिया है एवं इनसे पूर्णतयः सहमत हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम
पता
मोबाईल नम्बर

Scanned by CamScanner